

ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश
प्रस्तावित कुरुद नदी तट रेत खनन परियोजना के लिए
पर्यावरण मंजूरी (गौण खनिज)

क्र .	आवेदक	टीओआर की संख्या और तारीख	भूमि खसरा	आवेदित पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वार्षिक उत्पादन क्षमता (घनमीटर/प्रतिवर्ष) में	आवेदित भूमि का पता
1	कृष्णा कश्यप	TO23B0107CG5397373N , दिनांक 24 / 12 / 2025	2742 (भाग)	10	1,80,000	ग्राम – कुरुद, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़

आवेदक का नाम और पता

कृष्णा कश्यप

पता– वार्ड नंबर 5, छतौना/जरहागांव,

तहसील – जरहागांव, जिला– मुंगेली,

पिन कोड – 495330 (छ.ग.)

पर्यावरण सलाहकार

अल्ट्रा टेक

(पर्यावरण प्रयोगशाला और परामर्श)

एनएबीईटी मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्श संगठन

NABET प्रत्यायन संख्या – NABET/EIA/24-27/RA/0378

वैधता – 18 / 10 / 2027 तक

विषयसूची

1.0	परियोजना का नाम और स्थान.....	3
2.0	उत्पादन एवं क्षमता.....	3
3.0	भूमि, कच्चा माल, पानी, बिजली, ईंधन की आवश्यकता और आपूर्ति का स्रोत....	3
4.0	प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, विशेष रूप से गैसीय उत्सर्जन, तरल अपशिष्ट और ठोस/खतरनाक अपशिष्ट का संकेत	4
5.0	पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के उपाय तथा निर्वहन या निपटान का तरीका	4
6.0	परियोजना की पूंजीगत लागत पूरा होने का अनुमानित समय	4
7.0	परियोजना के लिए चयनित स्थल-भूमि की प्राकृतिक स्थिति – कृषि एकल/दोहरी फसल, बंजर सरकारी/निजी भूमि अधिग्रहण की स्थिति निकटवर्ती 2-3 किमी के भीतर जल निकाय जनसंख्या 10 किमी के भीतर अन्य उद्योग वन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र सुगम्यता	5
8.0	आधारभूत पर्यावरणीय आँकड़े – वायु गुणवत्ता, सतही और भूजल गुणवत्ता मिट्टी विशेषताएँ, वनस्पति और जीव-जन्तु, आस-पास की आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	6
9.0	खतरनाक सामग्री के संचालन, प्रसंस्करण और भंडारण में खतरों की पहचान और जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा प्रणाली प्रदान की गई	7
10.0	हवा, पानी, जमीन, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, आस-पास की आबादी पर इस प्रोजेक्ट का संभावित असर	7-8
11.0	प्राकृतिक या संयंत्र के आपात स्थिति के मामले में आपातकालीन तैयारी योजना....	9
12.0	जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दे.....	9
13.0	सीएसआर/सीईआर योजना.....	9
14.0	व्यावसायिक स्वास्थ्य उपाय.....	10
15.0	परियोजना पश्चात निगरानी योजना	10

कार्यकारी सारांश

1.0 परियोजना का नाम और स्थान

महानदी नदी पर प्रस्तावित कुरुद रेत खदान प्रोजेक्ट, 10.00 हेक्टेयर एरिया में है और यह खसरा नंबर 2742 (पार्ट), गांव कुरुद, ग्राम पंचायत कुरुद, तहसील आरंग, जिला रायपुर, राज्य छत्तीसगढ़ में है। प्रोजेक्ट का LOI श्री कृष्णा कश्यप के पक्ष में, लेटर नंबर 2738 / खनि. / रेत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) / 2023-24 रायपुर, तारीख 26 / 09 / 2023 के जरिए छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल ऑर्डिनरी सैंड (क्वारीइंग एंड ट्रेड) रूल्स, 2019 और छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल रूल 2015 के तहत जारी किया गया है।

यह माइनिंग प्रोजेक्ट EIA नोटिफिकेशन 2006 और उसके बाद के बदलावों के अनुसार कैटेगरी 'B1' प्रोजेक्ट या एक्टिविटी 1(a) में आता है और इसका मूल्यांकन SEAC, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा। यह लीज 10 हे. एरिया का एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। EIA नोटिफिकेशन 15 जनवरी 2016 और MoEF&CC के OM लेटर नंबर L-11011/175/2018-IA-II (M) 12.12.2018 और NGT के 13 सितंबर 2018 के ऑर्डर के हिसाब से, कैटेगरी B2 में आने वाले 5 से 25 ha तक के सभी एरिया को क्लस्टर सिचुएशन के साथ B1 माना जाएगा और इसलिए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को B1 कैटेगरी में रखा गया है।

2. उत्पादन एवं क्षमता

यह नया रेत माइनिंग लीज है और आवेदित लीज 1,80,000 घनमीटर/वर्ष की सालाना कैपेसिटी के लिए प्रस्तावित है।

प्रोजेक्ट प्रपोजेंट ने सिर्फ एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया है, जिसमें किसी भी तरह का एक्सपांशन शामिल नहीं है।

3. भूमि, कच्चा माल, पानी, बिजली, ईंधन की आवश्यकता और आपूर्ति का स्रोत –

- **भूमि क्षेत्रफल** : कुल भूमि क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है।
- **कच्चा माल** : नहीं, रेत की माइनिंग के लिए किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती।
- **पानी** : कुल पानी की जरूरत लगभग 9 केएलडी होगी, जिसमें से 7 केएलडी धूल हटाने और पेड़ लगाने में इस्तेमाल होगा। बाकी 2 केएलडी घरेलू कामों (साफ-सफाई और पीने के पानी) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पानी नदी के सक्रिय चैनल से या इलाके की ग्राम पंचायत से टैंकरों के जरिए इकट्ठा किया जाएगा।

- **बिजली** – माइनिंग का काम सिर्फ दिन के समय ही किया जाएगा। प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल फेज के दौरान बिजली की जरूरत नहीं होगी। माइनिंग मशीनरी, जिसमें एक्सकेवेटर, लोडर और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां शामिल हैं, डीजल से चलेंगी।
- **ईंधन** : रेत उत्खनन का कार्य कांट्रैक्ट मशीनों द्वारा किया जाएगा। रेत को खदान में आने वाले खरीदारों के परिवहन वाहनों में लोड किया जाएगा, इसलिए परिवहन का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः परियोजना के संचालन के लिए परियोजना प्रस्तावक को प्रत्यक्ष रूप से ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। मशीन ठेकेदार/परिवहनकर्ता अपनी ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति निकटतम डीजल ईंधन स्टेशनों से करेंगे।

4. प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, विशेष रूप से गैसीय उत्सर्जन, तरल अपशिष्ट और ठोस/खतरनाक अपशिष्ट का संकेत –

- **गैसीय उत्सर्जन** –
 - 1) स्थिर स्रोत – शून्य
 - 2) गतिशील स्रोत – डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर, एक्सकेवेटर, लोडर और टिपर आदि के उपयोग से SO_x और NO_x का उत्सर्जन हो सकता है।
- **तरल अपशिष्ट** – नदी के किनारे खदान के बाहर स्थित अस्थायी विश्राम झोपड़ियों/कार्यालयों से केवल घरेलू अपशिष्ट जल उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसका उपचार सेप्टिक टैंक और उसके बाद सोख गड्ढों के माध्यम से किया जाएगा।
- **ठोस अपशिष्ट**– रेत की खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार का निम्न गुणवत्ता वाला अपशिष्ट खनिज उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ कोई आवासीय या व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार का नगरपालिका अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा।

5. पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के उपाय तथा निर्वहन या निपटान का तरीका

चूंकि यह एक रेत खनन परियोजना है, इसलिए रेत निकालने के बाद नदी में पानी भरने से एरिया वैसा ही रहेगा और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का अपशिष्ट या अन्य दूषित पदार्थ जल या भूमि में नहीं छोड़ा जाता है।

6. परियोजना की पूंजीगत लागत, पूरा होने का अनुमानित समय –

संपूर्ण परियोजना की कुल लागत 90.00 लाख रुपये होगी (जिसमें सरकारी नदी तल की भूमि का बाजार मूल्य शामिल है) और परियोजना के लिए कार्यकारी मंजूरी मिलने, सरकार के साथ

खनन के लिए समझौते की तारीख और आवेदक को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से अनुमानित समापन समय 5 वर्ष तक है।

7. परियोजना के लिए चयनित स्थल-भूमि की प्राकृतिक स्थिति-कृषि (एकल/दोहरी फसल), बंजर,सरकारी/निजी भूमि अधिग्रहण की स्थिति, निकटवर्ती (2-3 किमी के भीतर) जल निकाय, जनसंख्या, 10 किमी के भीतर अन्य उद्योग, वन, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, सुगम्यता -

- **भूमि विवरण** : कुरुद रेत खदान का खनन पट्टा क्षेत्र, जो 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, नदी तल में स्थित सरकारी नदी भूमि में है।
- **जल निकाय** : यह परियोजना स्थल स्वयं महानदी नदी के ऊपर स्थित है।
- **पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र** : बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य ESZ क्षेत्र लगभग 30.012 किमी दूर स्थित है।
- **वन भूमि** : परियोजना स्थल वन भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना स्थल से निकटतम वन भूमि की दूरी निम्न प्रकार है—
 - सिरपुर आरक्षित वन, जो लगभग 1.35 किमी दूर है।
 - पीरही आरक्षित वन, जो लगभग 2.40 किमी दूर है।
 - खमतराई आरक्षित वन, जो लगभग 6.00 किमी दूर है।
 - कुकराडीह आरक्षित वन, जो लगभग 7.00 किमी दूर है।
- **10 किमी के भीतर उद्योग** : 10 किमी के भीतर कोई नहीं।
- **जनसंख्या** : यद्यपि अध्ययन क्षेत्र (परियोजना स्थल से 10 किमी के दायरे में) को द्वितीयक आंकड़ों (जनगणना 2011) के आधार पर विभाजित किया गया है, फिर भी अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 54631 है, 315 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 10538 परिवार बसे हुए हैं। अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों की कुल जनसंख्या 26864 है, जो महिलाओं की जनसंख्या 27767 से कुछ अधिक है।

पहुँच-

1. स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा परियोजना स्थल से 45 किमी दूर है।
2. बेलसोंडा रेलवे स्टेशन परियोजना स्थल से 22.00 किमी दूर है।
3. निकटतम बस स्टैंड आरंग बस स्टैंड है, जो परियोजना स्थल से 4.50 किमी दूर है।
4. निकटतम राजमार्ग रायपुर-सराइपाली राजमार्ग है, जो परियोजना स्थल से 12.10 किमी दूर है।

8. आधारभूत पर्यावरणीय आँकड़े— वायु गुणवत्ता, सतही और भूजल गुणवत्ता, मिट्टी विशेषताएँ, वनस्पति और जीव-जंतु, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आस-पास की आबादी –

विशिष्ट	स्थानों की संख्या	विवरण
वायु गुणवत्ता निगरानी विश्लेषण	8 जगहों पर सैंपलिंग की गई	PM ₁₀ – 39 to 55 µg/m ³ . PM _{2.5} – 13 to 24 µg/m ³ . SO ₂ – 6 to 16 µg/m ³ . NO _x – 7 to 20 µg/m ³ . CO – 0.4 to 1.1 µg/m ³ .
शोर स्तर का विश्लेषण	8 स्थानों पर निगरानी की गई	दिन के समय शोर का स्तर:– 46.0 to 49.5 dB (A) रात के समय शोर का स्तर:– 37.3 to 48.1 dB (A)
पानी का विश्लेषण	8 स्थानों पर भूजल के नमूने लिए गए	PH – 7.4 to 7.9 Total Dissolved Solids – 438 to 678 mg/L Total Hardness – 231 to 344 mg/L Chlorides – 100 to 159 mg/L Sulphates – 55 to 80 mg/L
	सैंपलिंग:– 8 सतही जल पर	PH – 7.1 to 7.5 Dissolved Oxygen – 5.5 to 6.3 mg/L Total Dissolved Solids – 204 to 522 mg/L Chlorides – 47 to 133 mg/L Sulphates – 21 to 42 mg/L Total Hardness – 114 to 238 mg/L
मृदा विश्लेषण	8 जगहों पर सैंपलिंग की गई	PH – 7.3 to 7.9 Nitrogen – 220 to 356 kg/ha Phosphorus – 25 to 58 kg/ha Potassium – 120 to 185 kg/ha

सामाजिक-आर्थिक : हालिया जनगणना (2011) के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र (परियोजना स्थल से 10 किमी के दायरे में) की जनसंख्या 54,631 है। इस क्षेत्र की कार्यरत जनसंख्या 25,423 है, जबकि गैर- कार्यरत जनसंख्या 29,208 है। इसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, काम करने के इच्छुक न होने वाले लोग और सेवानिवृत्ति के बाद की आयु के लोग भी शामिल हैं। कार्यरत पुरुषों की संख्या 13,120 और महिलाओं की संख्या 12,303 है, जबकि गैर- कार्यरत पुरुषों की संख्या 13,744 और महिलाओं की संख्या 15,464 है।

	कुल गाँव	कुल जनसंख्या	कुल कार्यरत जनसंख्या	काम करने वाली जनसंख्या		गैर-कामकाजी जनसंख्या	गैर-कामकाजी जनसंख्या पुरुष	गैर-कामकाजी जनसंख्या महिला
				पुरुष	महिला			
कुल	57	54,631	25,423	13,120	12,303	29,208	13,744	15,464

9. खतरनाक सामग्री के संचालन, प्रसंस्करण और भंडारण में खतरों की पहचान और जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा प्रणाली प्रदान की गई –

यह रेत खनन परियोजना होने के कारण इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री शामिल नहीं है।

10. परियोजना का वायु, जल, भूमि, वनस्पति-जीव तथा आस-पास की आबादी पर संभावित प्रभाव –

क्र.	विशिष्ट	प्रदूषण के संभावित स्रोत	प्रदूषण का परिमाण	नियंत्रण के उपाय	जम्मेदारी	निर्धारित समय – सीमा	निगरानी
1	वायु	– वाहनों की आवाजाही – खुदाई – लोडिंग और अनलोडिंग – रेत का परिवहन	उच्च	मोबाइल सिंक्रलर/टैंकरों द्वारा धूल नियंत्रण। – नदी किनारों और परिवहन मार्गों पर वृक्षारोपण। – वाहनों का नियमित रखरखाव। – पीयूसी प्रमाणित वाहन। – पार्किंग की व्यवस्था और उचित यातायात व्यवस्था।	ईएमपी सेल	6 माह	सप्ताह में दो बार
2	शोर और कंपन	- वाहन की आवाजाही - मशीनरी संचालन	मध्यम	– नदी के किनारों और परिवहन मार्ग पर वृक्षारोपण। – श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट। – रैंप और ढुलाई मार्ग का रखरखाव। – वाहनों का आवधिक रखरखाव – चिकनाई, साइलेंसर लगाना और आधुनिकीकरण। – खनन कार्य दिन के समय किया जाएगा।	ईएमपी सेल	6 माह	माह में एक बार
3	जल	– खदान जल निकासी – घरेलू सीवेज – तेल रिसाव	उच्च	– खनन शुष्क मौसम में किया जाएगा। – पट्टे वाले क्षेत्र में यदि कोई सक्रिय नदी जलधारा मौजूद हो और खनन किया जा रहा हो, तो 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा। – खनन सतही जल से 1.20 मीटर ऊपर किया जाएगा। – सेप्टिक टैंक और सोक पिट के साथ अस्थायी शौचालय उपलब्ध होंगे। – मशीन और उपकरणों से तेल रिसाव की रोकथाम की जाएगी।	ईएमपी सेल	12 माह	तिमाही में एक बार
4	भूमि	– सर्वोत्तम मृदा गुणवत्ता	–	रेत खनन से उत्पन्न कोई ऊपरी मिट्टी नहीं निकलती।	–	&	–

5	ठोस अपशिष्ट	– घरेलू ठोस	मध्यम	– खदान के बाहर नदी के किनारे पर सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे के साथ अस्थायी शौचालय।	ईएमपी सेल	खदान का जीवन काल	माह में एक बार
6	भूमि उपयोग	– भूमि उपयोग में परिवर्तन	मध्यम	– बरसात के मौसम में नदी स्वयं ही खोदे गए क्षेत्र को भर देती है। – वाहनों और उपकरणों से तेल, डीजल आदि के रिसाव से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।	ईएमपी सेल	खदान का जीवन काल	संकल्पन आत्मक चरण पर
7	पारिस्थितिकी और जैव विविधता	– वाहनों की आवाजाही – भूमि उपयोग में परिवर्तन	मध्यम	– नदी किनारे और जल परिवहन मार्ग पर वृक्षारोपण। – बरसात के मौसम में नदी स्वयं ही खोदे गए क्षेत्र को भर देती है। – यदि पट्टे वाले क्षेत्र में कोई सक्रिय नदी चैनल मौजूद है, तो जल चैनल और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा। – स्थानीय लोगों को शिक्षित करना।	ईएमपी सेल	6 माह	माह में एक बार
8	जोखिम और खतरा	– जलभराव – ढलान का खिसकना – आग	उच्च	– नदी में बाढ़ आने या पट्टे वाले क्षेत्र से पानी बहने के दौरान किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं है। – पट्टे वाले क्षेत्र में यदि कोई सक्रिय नदी मार्ग मौजूद है और खनन किया जाता है, तो 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा। – अग्निशामक यंत्र	ईएमपी सेल	12 माह	माह में एक बार
9	सामाजिक-आर्थिक	– कृषि भूमि का नुकसान – विस्फोट – जल उपलब्धता में कमी / हानि – खनन गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव	उच्च	– खनन सतही जल से 1.20 मीटर ऊपर किया जाएगा। – यदि पट्टे वाले क्षेत्र में कोई सक्रिय नदी चैनल मौजूद है और खनन किया जा रहा है, तो 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा। – स्थानीय आबादी को रोजगार दिया जाएगा। – पट्टे वाले क्षेत्र में रेत खनन की अनुमति है। – टैंकरों द्वारा धूल नियंत्रण। – जन सुनवाई अनुपालन। – सीईआर। – प्राथमिक उपचार और आवधिक चिकित्सा जांच।	ईएमपी सेल	12 माह	साल में एक बार

11. प्राकृतिक या संयंत्र आपात स्थिति के मामले में आपातकालीन तैयारी योजना –

नदी तल से रेत खनन परियोजना के संचालन चरण के दौरान जिन खतरों और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन किया गया है, वे निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी के हैं। परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना स्थल पर होने वाले संभावित जोखिमों के प्रभाव या परिणामों को रोकने के लिए सभी निवारक उपायों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। निवारक उपायों को लागू करने के बाद, पहचाने गए सभी खतरों में प्रभाव का स्तर निम्न/मध्यम होगा।

12. जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दे – अभी जन सुनवाई नहीं किया गया है ।

13. सीएसआर/सीईआर योजना –

MOEF कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No. 22-65/2017-IA.III दिनांक 01/05/2018 और 30/09/2020 के पैरा 3 और 6 के अनुसार, CSR कार्यों के स्थान पर खनन परियोजनाओं पर EMP के साथ CER लागू है। प्रोजेक्ट प्रपोनेंट एक अकेला व्यक्ति है, जबकि CSR उन PP पर लागू होता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हैं और उस कानून में दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करते हैं।

उत्पादन के दौरान, खदान स्वामी रॉयल्टी का भुगतान करेगा और इसका 30–35% हिस्सा राज्य सरकार को डीएमएफ और उपकर के रूप में देगा। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए डीएमएफ निधि का उपयोग करेगी, जिसमें स्थानीय लोगों की जरूरतों और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

अतः हमारा विनम्र निवेदन है कि सीईआर और ईएमपी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और ईसी अनुदान के लिए मामले की सिफारिश की जाए।

सीईआर का प्रस्ताव नीचे दिया गया है—

क	आवेदक का नाम	केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ के आधार पर लागू क्षेत्र के आसपास की भूमि का वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य	शौचालय के साथ कार्यालय और विश्राम गृहों की लागत	मशीनरी और उपकरणों की लागत	रैंप और साइट विकास की अनुमानित लागत	विविध लागत	कुल परियोजना लागत (लाखों में)	खर्च किए जाने वाले पूंजी निवेश का प्रतिशत	सीईआर के लिए आवश्यक राशि (₹. में)	सीईआर के लिए प्रस्तावित राशि (रुपये में)
1.	कृष्णा कश्यप	82.00	2.00	2.00	2.00	2.00	90.00	2%	1,80,000	1,90,000

14. व्यावसायिक स्वास्थ्य उपाय—

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, उत्पादकता और अच्छे नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। नदी तल की रेत खनन परियोजना में व्यावसायिक स्वास्थ्य के कारक मुख्यतः धूल और भूमि क्षरण हैं। संचालन और रखरखाव आदि के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा खान नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।

खानों में काम करने के दौरान धूल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपकरणों से होने वाली चोटें और ऊँचाई से गिरने से संबंधित खतरे होते हैं। डीजीएमएस ने इन खतरों से बचाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रबंधन इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।

15. परियोजना पश्चात निगरानी योजना—

परियोजना-पश्चात पर्यावरण निगरानी, मानवजनित कारकों के प्रभाव में पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तनों के अवलोकन, आकलन और पूर्वानुमान की एक जटिल प्रणाली है, निगरानी, परिवर्तनों का आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए इष्टतम संख्या में मापदंडों के साथ अवलोकन की एक सूचना प्रणाली है।